भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3215

21 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए

पीएमएवाई-यू के अन्तर्गत सर्वेक्षण

3215. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

श्री बेल्लाना चन्द्रशेखरः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में आवास की मांग का पता लगाने के लिए पीएमएवाई-यू के अंतर्गत कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किस वर्ष में उक्त सर्वेक्षण किया गया है और प्रत्येक राज्य में कितने आवासों की मांग रही है;

(ग) क्या सरकार ने पीएमएवाई-यू के अंतर्गत मांग की पूर्ति और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री कौशल किशोर)

(क) से (ड़): 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं। इसलिए आवासों से जुड़ी योजनाओं का कार्यान्वयन संबधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) सरकारों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में किया जाता है। तथापि, भारत सरकार देश भर के सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्के आवास उपलब्ध कराने हेतु 25 जून, 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी

(पीएमएवाई-यू) "सभी के लिए आवास" मिशन के तहत केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता प्रदान कर रही है। यह योजना चार घटकों अर्थात लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की गई है। पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार ने इस योजना के अंतर्गत आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र ने पात्र लाभार्थियों के लिए आवास की वास्तविक मांग का आकलन करने के लिए पीएमएवाई-यू के तहत मांग सर्वेक्षण किया है और वर्ष 2017 में 112.24 लाख आवासों की आवश्यकता का आकलन किया है। तथापि, आवास की मांग प्रकृति में परिवर्तनशील है, अतिरिक्त शहरी परिवार जो योजना के कार्यान्वयन के दौरान पात्र बन गए हैं, को भी पीएमएवाई-यू के अंतर्गत शामिल किया गया था।

वैध मांग सर्वेक्षण और लाभार्थियों के चयन और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर, परियोजना प्रस्तावों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्वीकृति और निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित किया जाता है, ताकि आगे केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति (सीएसएससी) द्वारा केंद्रीय सहायता की स्वीकृति दी जा सके। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उनके प्राधिकारियों द्वारा दिए गए परियोजनाओं के अनुमोदन के आधार पर केंद्रीय सहायता जारी करने पर विचार करता है।

04.12.2023 तक पीएमएवाई-यू के तहत 112.24 लाख आवासो की वैध मांग की तुलना में, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर मंत्रालय द्वारा कुल 118.63 लाख आवासो को स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 113.42 लाख आवास निर्माणाधीन है, और 78.27 लाख आवास पूर्ण किये जा चुके हैं/लाभार्थियों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता की कुल राशि क्रमशः 80,712.63 करोड़ और 75,148.94 करोड़ रुपये हैं।

****